न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

Jodhpur 2022-018 (GCMS2022-53) RTA223 LRs of Kishanaram Vs LRs of Nimbaram

किशनाराम पुत्र मगाराम के कायममुकामान-

1. मांगाराम पुत्र किशनाराम
2. पूनाराम पुत्र किशनाराम
3. भगाराम पुत्र किशनाराम
4. मूली पत्नी किशनाराम
5. मीरा पुत्री किशनाराम
6. टिपूदेवी पुत्री किशनाराम
7. शमूदेवी पुत्री किशनाराम
8. बरजू पुत्री किशनाराम

सभी जाति जाट, निवासीगण बिंजारिया बावडी तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर

अपीलाण्ट्स...

ब

ना

म

निम्बाराम पुत्र मगाराम के कायममुकामान-

1. भेराराम पुत्र निम्बाराम
2. भोपाराम पुत्र निम्बाराम
3. प्रभुराम पुत्र निम्बाराम
4. उरजाराम पुत्र निम्बाराम
5. देवी पत्नी निम्बाराम
6. रूपी पुत्री निम्बाराम
7. जेती पुत्री निम्बाराम
8. धापू पुत्री निम्बाराम
9. माडू पुत्री निम्बाराम
10. पेपी पुत्री निम्बाराम

सभी जाति जाट, निवासीगण बिंजारिया बावडी तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर

11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार तिंवरी

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर ओसियां दिनांक 14 फरवरी 2022 राजस्व वाद संख्या 195/2002 किशनाराम के कायममुकामान बनाम निम्बाराम के कायममुकामान

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उपस्थित-
श्री जगदीश प्रजापत, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री रूघाराम चौधरी, अधिवक्ता-रेस्पो.
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 11

नि र्ण य

दिनांक : 31 जनवरी, 2023

अपीलाण्ट्स ने न्यायालय सहायक कलेक्टर ओसियां द्वारा राजस्व वाद संख्या 195/2002 किशनाराम के कायममुकामान बनाम निम्बाराम के कायममुकामान में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14 फरवरी 2022 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 16 फरवरी 2022 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष वादी-अपीलाण्ट्स ने ग्राम बडला बासनी स्थित आराजी खसरा संख्या 182 रकबा 70 बीघा 07 बिस्वा में अपना ½ हक-हिस्सा होना जाहिर करते हुए एक राजस्व वाद बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया। प्रतिवादी-रेस्पो. की ओर से उक्त वाद का जबाब एवं काउण्टर क्लेम बाबत घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया। दावे, जबाब एवं काउण्टर क्लेम के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा तनकियात कायम की गयी और पक्षकारान की साक्ष्य सुनवाई के बाद दिनांक 24 दिसम्बर 2003 को उक्त वाद खारिज कर दिया गया। जिसके खिलाफ अदालत हाजा के समक्ष प्रस्तुत अपील संख्या 95/2004 किशनाराम बनाम निम्बाराम आदि दिनांक 19 मई 2006 को निर्णित करते हुए प्रकरण विचारण न्यायालय को रिमाण्ड किया गया। तदनुसार विचारण न्यायालय द्वारा मूल वाद में पुनः कार्यवाही आरम्भ की गयी और

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जरिये अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14 फरवरी 2022 उक्त वाद खारिज करते हुए प्रतिवादीगण-रेस्पो. का काउण्टर क्लेम स्वीकार कर लिया गया। जिसके खिलाफ वादी-अपीलाण्ट्स द्वारा आलौच्य अपील पेश की गयी है।

बहस सुनी गयी। तथ्यों एवं अपील मीमों में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने जाहिर किया कि पूर्व में मूल खसरा संख्या 182 रकबा 140 बीघा 13 बिस्वा राजस्व रिकार्ड में पीरा पुत्र पुरखा ½ एवं बगता नवला पिसरान बाला ½ की खातेदारी में दर्ज थी, जिसमें से पीरा पुत्र पुरखा द्वारा अपने हिस्से की समस्त भूमि का बेचान निम्बाराम व किशनाराम पिसरान मगाराम के पक्ष में दिनांक 21 अक्तूबर 1961 को किया जाकर कब्जा सुपुर्द कर दिया गया। उक्त बेचान के आधार पर केतागण के पक्ष में म्युटेशन संख्या 53 स्वीकृत होकर राजस्व रिकार्ड में अमल-दरामद किया गया। इसी अनुसार अपनी कयशुदा आराजी खसरा संख्या 182 रकबा 70 बीघा 07 बिस्वा पर उक्त दोनों केतागण अपने-अपने हिस्से अनुसार काफी समय तक काश्त करते रहे, किन्तु जब मौके पर कब्जे काश्त को लेकर पक्षकारान में मनमुटाव होने लगा तो वादी-अपीलाण्ट्स द्वारा विचारण न्यायालय में दावा बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया गया। अपने वाद के समर्थन में विचारण न्यायालय के समक्ष वादी-अपीलाण्ट्स की ओर से प्रदर्श पी-1 जमाबंदी संवत 2053-2055 तथा प्रदर्श पी-2 म्युटेशन संख्या 53 प्रस्तुत किये गये और मौखिक साक्ष्य में स्वयं वादी सहित अन्य गवाहान के बयान कराये जाकर अपने वाद को भलीभांति साबित किया गया। प्रतिवादी-रेस्पो. की ओर से अपने एडवर्स पजेशन के आधार पर काउण्टर क्लेम पेश किया और दस्तावेजी साक्ष्य में

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

खसरा गिरदवरी संवत 2015 से 2023 प्रदर्श डी-1 एवं प्रदर्श डी-2 प्रस्तुत की तथा मौखिक साक्ष्य में स्वयं प्रतिवादी सहित अन्य गवाहान के बयान कराये गये। किन्तु विचारण न्यायालय द्वारा अपने समक्ष उपलब्ध साक्ष्य सबूत का समुचित विवेचन एवं विश्लेषण किये बिना एवं राजस्व रिकार्ड के इन्द्राजात को नजरअंदाज करते हुए वादी-अपीलाण्ट्स का दावा खारिज कर प्रतिवादी-रेस्पो. का काउण्टर क्लेम स्वीकार कर लिया गया, जो न्यायोचित एवं विधिसम्मतः नहीं है। अपनी बहस जारी रखते हुए अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने जाहिर किया कि राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में किशनाराम तथा निम्बाराम वादग्रस्त आराजी के सहखातेदार दर्ज है और संयुक्त खातेदारी की भूमि के प्रत्येक इंच भू-भाग पर प्रत्येक सहखातेदार का कब्जा कानूनन अवधारित किया जाता है। इसके उपरान्त भी विचारण न्यायालय द्वारा खसरा गिरदावरी संवत 2015 से 2023 के आधार पर प्रतिवादी-पक्ष का वादग्रस्त आराजी पर तनहा कब्जा वक्त सेटलमेण्ट से मानने में गम्भीर विधिक त्रुटि की गयी है। जमाबंदी रिकार्ड आफ़ राइट्स की श्रेणी के लोक दस्तावेज के इन्द्राजात को महज खसरा गिरदावरी, (जो कि रिकार्ड ऑफ राइट्स की श्रेणी में नहीं आते) व मौखिक साक्ष्य के आधार पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रभाव में आने के समय मूल खसरा संख्या 182 रकबा 140 बीघा 13 बिस्वा बाबत मूलसिंह पुत्र जूंझारसिंह तथा पीरा पुत्र पुरखा बहिस्सा बराबर-बरार बापीदार थे, इनमें से मूलसिंह पुत्र जूंझार सिंह ने अपने हिस्से की भूमि 70 बीघा 06 बिस्वा बगता व नवला पिसरान बाला माली के पक्ष तथा पीरा पुत्र पुरखा ने अपने हिस्से की भूमि 70 बीघा 07 बिस्वा निम्बाराम व किशनाराम पिसरान मगाराम के पक्ष

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

में बेचान कर दी। प्रस्तुत खसरा गिरदावरियों के अनुसार भी संवत 2018 तक वादग्रस्त आराजी बाबत पीरा पुत्र पुरखा एवं बगता व नवला की काश्त दर्ज की हुई है। ऐसी स्थिति में वक्त सेटलमेण्ट से वादग्रस्त आराजी बाबत प्रतिवादी-पक्ष का न तो तनहा कब्जा साबित होता है और न ही ऐसे किसी कब्जे के कारण प्रतिवादी-पक्ष को एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते है। अंत में अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने अपील स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

जबाब में अधिवक्ता-रेस्पो. ने अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी का समर्थन किया और अपील-अपीलाण्ट्स खारिज किये जाने का निवेदन करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी के संबंध में तथाकथित बेचाननामा वादी-अपीलाण्ट्स द्वारा प्रस्तुत ही नहीं किया गया है और न ही कभी वादग्रस्त आराजी वादी एवं प्रतिवादी द्वारा संयुक्त रूप से कय की गयी है। वादग्रस्त आराजी पर वादी-अपीलाण्ट्स का किसी भी प्रकार से कोई कब्जा भी नहीं रहा है। वक्त सेटलमेण्ट से वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादी-रेस्पो. का कब्जा चला आ रहा है किन्तु सेटलमेण्ट के दौरान कर्मचारियों/अधिकारियों की सद्भाविक भूल से प्रतिवादी-रेस्पो. की बजाय पीरा पुत्र पुरखा का कब्जा दर्ज कर दिया गया, जिस बाबत कालान्तर में पीरा द्वारा प्रतिवादी-रेस्पो. के पक्ष में की गयी लिखत के आधार पर राजस्व रिकार्ड में पटवारी द्वारा दुरुस्ती करने हेतु म्युटेशन संख्या 53 में वादी का नाम भी प्रतिवादी के साथ दर्ज कर दिया गया, जबकि मौके पर कभी भी वादी-अपीलाण्ट्स का कब्जा नहीं रहा है और त्रुटिवश राजस्व रिकार्ड में नाम आ जाने मात्र से वादी-अपीलाण्ट्स को वादग्रस्त आराजी बाबत कोई अधिकार अर्जित

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

नहीं होते है। अतः अपील अपीलाण्ट्स सारहीन होने से तदनुसार खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जिससे पाया जाता है कि वादी-अपीलाण्ट्स की ओर से दावा वादग्रस्त आराजी के ½ हिस्से बाबत रिकार्डेड सहखातेदार की हैसियत से बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया गया और वाद की ताईद में रिकार्ड ऑफ राइट्स जमाबंदी संवत 2053-2056 पेश की गयी, जिसमें वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 182 रकबा 70 बीघा 07 बिस्वा बाबत "निम्बाराम किशनाराम पिसरान मगाराम कौम जाट साकिन देह खातेदार" दर्ज है। इसके अलावा म्युटेशन संख्या 53 (प्रदर्श पी-2) भी पेश किया गया जिसके कॉलम संख्या 14 में "पीराराम पुत्र पुरखाराम ने अपने हिस्से ½ की जमीन नींबाराम किशनाराम पी. मगाराम को बेचान 71/- में कर दी है दिनांक 21.10.61 को। अतः उचित आदेश हेतु पेश है" अंकित किया हुआ है, जिससे प्रकट होता है कि उक्त म्युटेशन पीराराम पुत्र पुरखाराम द्वारा अपने ½ हिस्से का बेचान निम्बाराम व किशनाराम पिसरान मगाराम के पक्ष में करने के आधार पर भरा गया है। उक्त बेचान-लिखत की छायाप्रति अदालत हाजा के समक्ष प्रपत्र तीन के संलग्न प्रस्तुत की गयी है जिसके अवलोकन से प्रकट होता है कि सादा-कागज पर निष्पादित उक्त बेचान-लिखत के जरिये दिनांक 21 अक्तूबर 1961 को पीरा पुत्र पुरखाराम जाट द्वारा आराजी खसरा संख्या 182 रकबा 140 बीघा 13 बिस्वा में अपना सम्पूर्ण ½ हिस्सा का बेचान पडौस अंकित करते हुए राशि रूपये 71/- प्रतिफल प्राप्त कर निम्बाराम व किसनाराम पिसरान मगाराम के पक्ष में बेचान किया गया है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बेचान-प्रतिफल की राशि रूपये 100/- से कम होने के कारण ऐसा बेचान-दस्तावेज पंजीबद्ध कराया जाना अनिवार्य नहीं है। प्रतिवादी-रेस्पो. की ओर से विचारण न्यायालय में जो दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श डी-1 व प्रदर्श डी-2 खसरा गिरदावरी संवत 2015 से 2023 प्रस्तुत की गयी है, उनके अवलोकन से पाया जाता है कि संवत 2015 में 120 बीघा 13 बिस्वा, संवत 2016 में 110 बीघा 13 बिस्वा, संवत 2017 में 105 बीघा 13 बिस्वा व संवत 2018 में 104 बीघा 13 बिस्वा बाबत पीरा पुत्र पुरखा जाट ½ बगता नवला पि. बाला कौम माली साकिन देह बहिस्सा बराबर ½ की काश्त दर्ज हुई है। मौखिक साक्ष्य में दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत गवाहान ने अपने-अपने पक्ष का समर्थन किया है।

उल्लेखनीय है कि जमाबंदी रिकार्ड ऑफ राइट्स की श्रेणी के दस्तावेजात है। आलौच्य मामले में विचारण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध प्रदर्श पी-1 जमाबंदी संवत 2053-2056 में वादग्रस्त आराजी बाबत वादी-पक्ष तथा प्रतिवादी-पक्ष दोनों ही खातेदार दर्ज है, हिस्सा अंकित नहीं होने के कारण इन्हें बहिस्सा बराबर के सहखातेदारान अवधारित किया जायेगा। विधि के सर्वमान्य सिद्धान्त अनुसार संयुक्त खातेदारी की भूमि के प्रत्येक इंच भू-भाग पर प्रत्येक सहखातेदार का कब्जा अवधारित किये जाने का प्रावधान होने के कारण संयुक्त खातेदारी की भूमि बाबत सहखातेदारान के मध्य एडवर्स पजेशन का सिद्धान्त लागू ही नहीं होता है। इतना ही नहीं, बीगोडी रसीदात एवं खसरा गिरदावरी रिकार्ड ऑफ राइट्स की श्रेणी के दस्तावेजात नहीं होने के कारण इनके आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान किया जाना सम्भव नहीं है। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण-रेस्पो. की ओर से प्रस्तुत जबाब-दावा मय

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

काउण्टर क्लेम में पेज 6 पर यह जाहिर किया गया है कि वादग्रस्त आराजी पर कभी भी पीरा पुत्र पुरखा का कब्जा काश्त नहीं रहा, सेटलमेण्ट कर्मचारियों की भूल के उसका नाम दर्ज कर दिया गया, पीरा पुत्र पुरखा द्वारा प्रतिवादी के नाम उक्त भूमि कराने हेतु लिखत भी की गयी मगर म्युटेशन स्वीकृत किये जाते समय पटवारी की गलती से प्रतिवादी के साथ वादी का नाम भी दर्ज कर दिया गया। मगर ऐसी कोई लिखत प्रतिवादी-रेस्पो. की ओर से प्रस्तुत नहीं की गयी है। उक्त जबाब-दावा मय काउण्टर क्लेम के पेज 9 बिन्दु संख्या 5 में भी प्रतिवादी की ओर से अंकित किया गया है कि "... वादग्रस्त भूमि के संदर्भ में नामान्तरकरण संख्या 53 में गलत इन्द्राज के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 के साथ साथ वादी का नाम भी दर्ज कर दिया गया ....।" इस संबंध में उल्लेखनीय है कि प्रदर्श पी-2 म्युटेशन संख्या 53 का अवलोकन करने पर उक्त म्युटेशन पीरा पुत्र पुरखा द्वारा निम्बाराम व किसनाराम पि. मगाराम के पक्ष में वादग्रस्त आराजी के ½ हिस्से का दिनांक 21 अक्तूबर 1961 को किये गये बेचान के आधार पर स्वीकृत किया जाना पाया जाता है।

इस प्रकार मामले में प्रस्तुत साक्ष्य सबूत के किये गये उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आलोक में तनकी संख्या एक **(आया खसरा संख्या 182 रकबा 70 बीघा 01 बिस्वा मौजा बडला बासनी तहसील ओसिया की भूमि बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाडा करके ½ हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी के मध्य ½ हिस्सा आधा-आधा घोषित किया जावे? ... जिम्मे वादी)** का निस्तारण वादी-अपीलाण्ट्स के पक्ष में किया जाता है और वादग्रस्त आराजियात में ½ हिस्सा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

वादी-अपीलाण्ट्स एवं बकाया ½ हिस्सा प्रतिवादी-रेस्पो. का घोषित किया जाता है।

तनकी संख्या दो (**आया उक्त भूमि खसरा संख्या 182 रकबा 70 बीघा 07 बिस्वा भूमि बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाडा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में तरमीम करके रेकर्ड में अमल दरामद करवाने का अधिकारी है? ... जिम्मे वादी**) का निस्तारण तनकी संख्या एक बाबत पारित निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में वादी-अपीलाण्ट्स के पक्ष में किया जाता है।

इसी प्रकार तनकी संख्या तीन (**आया वादी के पक्ष में स्थाई निषेधाज्ञा घोषित की जावे कि वादी के घोषित हिस्से पर प्रतिवादी किसी प्रकार की दखलअंदाजी नहीं करे? .... जिम्मे वादी**) का निस्तारण भी तनकी संख्या एक बाबत पारित निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में वादी-अपीलाण्ट्स के पक्ष में किया जाता है।

तनकी संख्या चार (**आया प्रतिवादी एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदार घोषित करवाने का अधिकारी है? ... जिम्मे प्रतिवादी**) को सिद्ध करने हेतु प्रतिवादी-रेस्पो. द्वारा वादग्रस्त आराजी पर वक्त सेटलमेण्ट से अपना एडवर्स पजेशन साबित नहीं किया गया है। इसी प्रकार राजस्व रिकार्ड (जिनमें वादग्रस्त आराजी सहखातेदारी की भूमि दर्ज है) के इन्द्राजात को प्रतिवादी-रेस्पो. द्वारा त्रुटिपूर्ण अथवा गलत होना तथा सम्पूर्ण भूमि अकेले प्रतिवादी-रेस्पो. की होना भी साबित नहीं किया जा सका है। सहखातेदारी की भूमि बाबत एडवर्स पजेशन का सिद्धान्त लागू नहीं होता है। इन परिस्थितियों में तनकी संख्या चार प्रतिवादी-रेस्पो. के खिलाफ निर्णित की जाती है और तनकी संख्या एक बाबत पारित निष्कर्ष

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अनुसार वादग्रस्त आराजी रकबा 70 बीघा 07 बिस्वा का ½ हिस्सा वादी-अपीलाण्ट्स तथा बकाया ½ प्रतिवादी-रेस्पो. का घोषित किया ज़ाता है।

उपरोक्त समस्त विवेचन एवं विश्लेषण के अनुसार अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार की जाती है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांक 14 फरवरी 2022 अपास्त किये जाते है। वादी-अपीलाण्ट्स की ओर से प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाता है तथा प्रतिवादी-रेस्पो. की ओर से प्रस्तुत काउण्टर क्लेम खारिज किया जाकर वादग्रस्त आराजी रकबा 70 बीघा 07 बिस्वा वाके मौजा बडला बासनी के ½ हिस्सा बाबत वादी-अपीलाण्ट्स तथा बकाया ½ हिस्सा बाबत प्रतिवादी-रेस्पो. का घोषित किया जाता है। तदनुसार संबंधित तसहीलदार को नियमानुसार पक्षकारान की उपस्थित में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर विचारण न्यायालय में प्रस्तुत करने बाबत निर्देशित किया जाता है। साथ ही विचारण न्यायालय को निर्देश दिये जाते है कि संबंधित तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना सुनिश्चित की जाकर भौतिक विभाजन में पक्षकारान को प्राप्त होने वाले भू-भाग बाबत स्थायी निषेधाज्ञा जारी करते हुए फाइनल डिकी पारित की जावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें। डिकी पर्चा जारी हो।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31.01.2023

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर